महत्वपूर्ण/द्वारा ई–मेल

पीएसी मुख्यालय
उत्तर प्रदेश

महानगर लखनऊ–226006
फोन : 0522–2337452
फैक्स नं0 : 0522–2337453
सीयूजी: 9454400167
Email :sec1@uppac.net

पत्रांकःपीएसी–1–493(2)2021
दिनांकः दिसम्बर 4 , 2021

सेवा में,

समस्त सेनानायक,
पीएसी वाहिनी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः **सीधी भर्ती अक्टूबर–2018 के चयन परिणाम में आरक्षी पीएसी के पद पर भर्ती हेतु चयनित 18217 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत करने एवं जेटीसी प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।**

कृपया उपुर्यक्त सम्बन्ध में इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक **01.12.2021** का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उक्त चयन प्रक्रिया से आरक्षी पीएसी के पद पर भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थियों में से चिकित्सा परीक्षा एवं चरित्र सत्यापन में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत करने एवं दिनांक **15.12.2021** से जेटीसी प्रशिक्षण प्रारम्भ कराने के निर्देश दिये गये हैं।

2. उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में नियुक्ति पत्र का प्रारूप इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक **01.12.2021** द्वारा आपको भेजा जा चुका है। इस पत्र के साथ शपथ–पत्र के 02 प्रारूप संलग्न हैं। अपनी वाहिनी से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे संलग्न परिशिष्ट–"ख"(1) व "ख" (2) में क्रमशः **रू0 32/–** एवं **रू0 42/–** के नान–जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र अंकित कराकर तथा नोटरी से उन शपथ–पत्रों को सत्यापित कराकर अपने साथ लेकर आयेंगे।

संलग्नकः यथोपरि।

4/12

(आशुतोष कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी जोन, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी सेक्टर, उत्तर प्रदेश।

परिशिष्ट "ख" (1)

प्रशिक्षण संस्थान में खेल, साज–सज्जा तथा अन्य व्ययों तथा नियमानुसार अनुमन्य वेतन प्रशिक्षण काल में दिया जाएगा, के सम्बन्ध में अभ्यर्थी (रिकूट) के माता पिता, संरक्षक या मित्र (प्रतिभू) के हस्ताक्षर हेतु बन्ध पत्र।

प्रतिभू चूँकि मैं.....आत्मज श्री .....जिला.....का निवासी हूँ और चूँकि पुलिस सेवा हेतु प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ जे0टी0सी0.....में सम्मिलित होने के लिय उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में भर्ती हेतु श्री.....आत्मज..... ..... निवासी.....को चयनित किया गया है और उसने सरकार की सेवा को वरण किया है। अतएव यह बन्ध पत्र दिनॉक.....जो उक्त.....के निमित्त प्रतिभू. .....प्रथम पक्ष तथा राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वितीय पक्ष के मध्य में निस्पादित हुआ है। इस बात का साक्षी है कि उक्त.....के उक्त संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के प्रतिफलस्वरूप उक्त..... .....इस बन्ध के दिनांक से उक्त संस्थान में परिश्रम पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए तब तक रहेगी जब तक पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 या उक्त संस्थान के प्रमुख उसे अपना प्रशिक्षण छोड़ने की अनुमति न प्रदान करें, और वह उक्त संस्थान से सम्बन्धित अभ्यर्थियों (रिकूटस) के लिये निर्धारित नियमों का सच्चे हृदय से पालन करेगा। उक्त..... का उक्त अवस्था कि उक्त.....अभ्यर्थी(रिकूट)।

1–उक्त प्रशिक्षण में असफल रहे अथवा आरक्षी रिकूट की परीक्षा पास न करें।
2–प्रशिक्षण से त्याग पत्र दें।
3–दुर्घटना ग्रस्त होने पर उक्त प्रशिक्षण अथवा सेवा से हटा दिया जाय।
4–उक्त संस्थान से सम्बन्धित अभ्यर्थियों (रिकूटस) के लिये निर्धारित नियमों का पालन न करें अथवा इन नियमों के आधीन उक्त संस्थान से बहिस्कृत अथवा पृथक किया जाय।
5–प्रशिक्षण के पश्चात 01 वर्ष के अन्दर ही नौकरी से त्याग पत्र दे दें।
6–साज सज्जा की पूर्ण धनराशि वसूल किये जाने के पूर्व वह त्याग पत्र दे दें।
7–उक्त संस्थान के प्रमुख द्वारा उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के सन्तोषजनक न पाये जाने पर कालेज से बहिष्कृत या पृथक किये जाय।
8– ऊपर लिखित किसी भी दशा में उक्त रिकूट उत्तर प्रदेश शासन को निम्नलिखित के अनुसार धनराशि देने के लिये वचनबद्ध है:–

1–वह सब धनराशि जो साज सज्जा वस्तु अथवा अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में उससे देय पायी जावें।
2–वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उसे नियमानुसार अनुमन्य वेतन के रूप में दी जाय।
3–वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश शासन ने उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने में व्यय की हो।
4–और उत्तर प्रदेश शासन को अधिकार होगा कि उक्त धनराशि रिकूट अथवा उसके प्रतिभू से उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासकीय विभाग के सचिव प्रमाण–पत्र पर जो उक्त रिकूट पर बाध्यकर एवं अन्तिम होगा माल गुजारी की भॉति वसूल होगा।

साक्षी
1– .....
2– .....

हस्ताक्षर.....
दिनॉक.....
स्थान.....

परिशिष्ट "ख" (2)

प्रशिक्षण संस्थान के विद्यार्थी (कैडेट) के हस्ताक्षर कराने के लिये अन्य पत्र

मै .....आत्मज.....जिला.....
.....का निवासी हूँ।.....स्थित प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये वर्ष.....में चुना गया हूँ। (जिसे आगे रिकूट कहा गया है)

उक्त रिकूट राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के साथ प्रसंविदा करता है कि उक्त संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करते समय उक्त संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा समय–समय पर जो भी साज–सज्जा उसे मिलेगी और जिसके निमित्त वह कोई धनराशि न दें, और जिसके मूल्य के सम्बन्ध में उसे यथा समय सूचना दी जाय, उसका वह उस अवस्था में जबकि वह सफल हो जाये और किसी जिले में नियुक्त हो जाये सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान 12 मासिक किश्तों में कर देगा और इनके निमित्त वह एकाउन्टेन्ट को एतद्द्वारा प्राधिकृत करता है कि वह इस धनराशि को उसके उस वेतन से काट लिया जाए, वह जिस जिले में सेवा प्रारम्भ करें।

उक्त रिकूट को त्याग पत्र देने, प्रशिक्षण बन्द कर देने या पद्च्युत किए जाने पर यह विकल्प होगा कि वह या तो उन वस्त्रों और अन्य वस्तुओं को जिन्हें उक्त संस्थान के प्रमुख ने उसे संस्थान में प्रवेश करने के समय दिये हों अथवा जो बाद में कॉटेज स्टोर से मिलें हों, अपने पास रखें या वह उन्हे ऐसे मूल्य पर, जिसे उक्त संस्थान प्रमुख निश्चित करें, संस्थान प्रमुख के हाथ बेच सकता है।

उक्त रिकूट राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश से यह भी प्रसंविदा करता है कि यदि वहः–

1–उक्त प्रशिक्षण में असफल रहे अथवा कि विहित प्रशिक्षण की परीक्षा पास न करे।
2–प्रशिक्षण से त्याग पत्र दे दें।
3–दुर्घटना ग्रस्त होने पर उक्त प्रशिक्षण अथवा सेवा से हटा दिया जाय।
4–प्रशिक्षण काल में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश अथवा उक्त संस्थान के प्रमुख की बिना पूर्व अनुमति के उक्त संस्थान छोड़कर चला जाय या प्रशिक्षण बन्द कर दे।
5–उक्त संस्थान से सम्बन्धित अभ्यर्थियों (रिकूट) के लिये निर्धारित नियमों को पालन न करें, अथवा इन नियमों के अधीन उक्त संस्थान से बहिस्कृत अथवा पृथक किया जाय।
6–प्रशिक्षण के पश्चात एक वर्ष के अन्दर ही नौकरी से त्याग पत्र दे दें।
7–साज सज्जा की पूर्ण धनराशि वसूल किए जाने के पूर्व वह त्याग पत्र दे दें।
8–उक्त संस्थान के प्रमुख द्वारा उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के सन्तोषजनक न पाये जाने पर संस्थान से बहिष्कृत या पृथक किया जाय।
9– ऊपर लिखित किसी भी दशा में उक्त रिकूट उत्तर प्रदेश शासन को निम्नलिखित के अनुसार धनराशि देने के लिये वचनबद्ध हैः–

1–वह सब धनराशि जो साज–सज्जा वस्तु अथवा अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में उससे देय पायी जाय।
2–वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उसे नियमानुसार अनुमन्य वेतन के रूप में दी जावे।
3–वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश शासन ने उसे उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने में व्यय की हो और उत्तर प्रदेश शासन को अधिकार होगा कि उक्त धनराशि उक्त रिकूट अथवा उसके प्रतिभू से उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासकीय विभाग के सचिव के प्रमाण–पत्र पर जो उक्त रिकूट पर बाध्यकर एवं अन्तिम होगा। मालगुजारी की भॉति वसूल होगा।

साक्षी

1– .....

2– .....

हस्ताक्षर.....

दिनॉक.....

स्थान.....